



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223146
CG-DL-E-18112020-223146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942

No. 3614]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4115(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH-927D के कि.मी. 4.700 से कि.मी. 72.200 (धोराजी – जामकंडोरणा – कालावड – जामनगर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रान्त अधिकारी जामनगर रूरल (महसूल सेवा सदन सरु सेक्शन रोड जामनगर) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH-927D के कि.मी. 4.700 से कि.मी. 72.200 (धोराजी – जामकंडोरणा – कालावड – जामनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: जामनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कलावाड					
गांव का नाम: भावाभी खीजडीया					
1	159	निजी	कृषि	0.0791000(हेक्टेयर)	0.0791000
2	161	निजी	कृषि	0.0221000(हेक्टेयर)	0.0221000
3	213	निजी	कृषि	0.0214000(हेक्टेयर)	0.0214000
4	244/P/1	निजी	कृषि	0.0984000(हेक्टेयर)	0.0984000
5	244/P/2	निजी	कृषि	0.1361000(हेक्टेयर)	0.1361000
6	256	निजी	कृषि	0.0214000(हेक्टेयर)	0.0214000
7	298	निजी	कृषि	0.1206000(हेक्टेयर)	0.1206000
8	300	निजी	कृषि	0.0037000(हेक्टेयर)	0.0037000
9	301	निजी	कृषि	0.3754000(हेक्टेयर)	0.3754000
10	302	निजी	कृषि	0.1803000(हेक्टेयर)	0.1803000
11	336	निजी	कृषि	0.0493000(हेक्टेयर)	0.0493000
12	337	निजी	कृषि	0.5773000(हेक्टेयर)	0.5773000
गांव का नाम: मकराणी सणोसरा					
1	166	निजी	कृषि	0.0471000(हेक्टेयर)	0.0471000
2	167	निजी	कृषि	0.0371000(हेक्टेयर)	0.0371000
3	169	निजी	कृषि	0.0708000(हेक्टेयर)	0.0708000
4	186	निजी	कृषि	0.0592000(हेक्टेयर)	0.0592000
5	210	निजी	कृषि	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000

6	211	निजी	कृषि	0.1463000(हेक्टेयर)	0.1463000
7	646	निजी	कृषि	0.1507000(हेक्टेयर)	0.1507000
गांव का नाम: रीनारी					
1	32	निजी	कृषि	0.1189000(हेक्टेयर)	0.1189000
2	38	निजी	कृषि	0.3316000(हेक्टेयर)	0.3316000
3	63	निजी	कृषि	0.0917000(हेक्टेयर)	0.0917000
4	64	निजी	कृषि	0.1664000(हेक्टेयर)	0.1664000
गांव का नाम: सरवाणीया					
1	529	निजी	कृषि	0.2275000(हेक्टेयर)	0.2275000
2	532	निजी	कृषि	0.0207000(हेक्टेयर)	0.0207000
गांव का नाम: टोडा					
1	262	निजी	कृषि	0.1303000(हेक्टेयर)	0.1303000
कुल				3.2947	3.2947

[फा. सं. RW/NH/12012/03/2016/PS-4/GJ/3A6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4115(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-927D in the stretch of land from Km. 4.700 to Km. 72.200 (Dhoraji - Jamkandorna - Kalavad - Jamnagar Section) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, PRANT OFFICER JAMNAGAR RURAL (MAHESUL SEVA SADAN SARU SECTION ROAD JAMNAGAR) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-927D in the stretch of land from Km. 4.700 to Km. 72.200 (Dhoraji - Jamkandorna - Kalavad - Jamnagar Section) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: JAMNAGAR			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalavad					
Village: Bhavabhi Khijadiya					
1	159	Private	Agriculture	0.0791000(Hectare)	0.0791000
2	161	Private	Agriculture	0.0221000(Hectare)	0.0221000
3	213	Private	Agriculture	0.0214000(Hectare)	0.0214000
4	244/P/1	Private	Agriculture	0.0984000(Hectare)	0.0984000
5	244/P/2	Private	Agriculture	0.1361000(Hectare)	0.1361000
6	256	Private	Agriculture	0.0214000(Hectare)	0.0214000
7	298	Private	Agriculture	0.1206000(Hectare)	0.1206000
8	300	Private	Agriculture	0.0037000(Hectare)	0.0037000
9	301	Private	Agriculture	0.3754000(Hectare)	0.3754000
10	302	Private	Agriculture	0.1803000(Hectare)	0.1803000
11	336	Private	Agriculture	0.0493000(Hectare)	0.0493000
12	337	Private	Agriculture	0.5773000(Hectare)	0.5773000
Village: Makrani Sanosara					
1	166	Private	Agriculture	0.0471000(Hectare)	0.0471000
2	167	Private	Agriculture	0.0371000(Hectare)	0.0371000
3	169	Private	Agriculture	0.0708000(Hectare)	0.0708000
4	186	Private	Agriculture	0.0592000(Hectare)	0.0592000
5	210	Private	Agriculture	0.0113000(Hectare)	0.0113000
6	211	Private	Agriculture	0.1463000(Hectare)	0.1463000
7	646	Private	Agriculture	0.1507000(Hectare)	0.1507000
Village: Rinari					
1	32	Private	Agriculture	0.1189000(Hectare)	0.1189000
2	38	Private	Agriculture	0.3316000(Hectare)	0.3316000
3	63	Private	Agriculture	0.0917000(Hectare)	0.0917000
4	64	Private	Agriculture	0.1664000(Hectare)	0.1664000
Village: Sarvaniya					
1	529	Private	Agriculture	0.2275000(Hectare)	0.2275000
2	532	Private	Agriculture	0.0207000(Hectare)	0.0207000

Village: Toda					
1	262	Private	Agriculture	0.1303000(Hectare)	0.1303000
Total				3.2947	3.2947

[F.No. RW/NH/12012/03/2016/PS-4/GJ/3A6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.